तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
20/3/26	वकुलाय फरिकेन उपस्थित बहस सुनी गई विवेचन निम्नप्रकार से है :– सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि रोही मौजा चक 6 आरपीएम की कुल 3.00 बीधा भूमि स्माल पेच में प्रार्थी खेताराम , धन्नाराम , प्रहलाद , हनुमान , पि0 श्योकरण जाति ब्रहाम्ण निवासी पिचकराई को किमतन आवंटन की गई थी उक्त आवंटन आदेश दिनांक 04.02.2006 के विरूद्व बजरग लाल पुत्र हनुमान प्रसाद जाति छिम्पा निवासी नोहर ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई माननीय न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर दिया जाकर पूनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे प्रकरण माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षो को प्रकरण में सुचना पत्र / नोटिस जारी किये गये । प्रार्थी खेताराम को देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान संशोधित शिर्षक के अनुसार 1 / 1 से 1 / 5 है जिसमें से खेताराम की पुत्री भवरी देवी का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान 1 / 3 / 1 से 1 / 2 / 2 है धन्नाराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान 2 / 1 से 2 / 2 है प्रार्थी ने संशोधित शिर्षक पेश किया जा चुका है। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 बंजरग लाल पुत्र हनुमान प्रसाद को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई अप्रार्थी संख्या 3 ,4 क्रमंश प्रहलाद , हनुमान प्रसाद स्वय उपस्थित आकर निवेदन किया की पूर्व में किये गये आवंटन आदेश को बहाल रखने के आदेश फरमावे। प्रार्थी ने अपने समर्थन में वाद भूमि के खेत पडोसीयो के शपथ पत्र पेश करवाये की वाद भूमि आवंटन के समय से ही कब्जा काश्त में ही चली आ रही है यही सदामत से काश्त करते आ रहे है शपथ पत्र शामिल मिसल किया जाकर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण खेताराम धन्नाराम , प्रहलाद , हनुमान पि0 श्योकरण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की वाद भूमि स्मालपेच की श्रेणी में आती है जिसे श्रीमानजी के आदेशानुसार आवंटन किया गया था किन्तु बजरगलाल के द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष टीसी होने का कथन करने पर माननीय न्यायायल ने प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर पुनः निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये थे। वाद भूमि सदामत से प्रार्थीगण एव उनके पुर्वजो के कब्जा काश्त में चली आ रही है और आज भी कब्जा काश्त में है बजरगलाल का कभी भी कब्जा नही रहा है ना ही टीसी पर आवंटन है यदि टीसी पर पूर्व में कभी टीसी पर रही हो सकती है जिसके आधार पर बजरगलाल इतने वर्षो के बाद कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है ना ही न्यायालय में उपस्थित आया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 04.02.2006 को बहाल रखने के आदेश फरमावे। हमने प्रार्थीगण [illegible] का अवलोकन किया प्रार्थी खेताराम धन्नाराम , प्रहलाद , हनु[illegible] पि0 श्योकरण को रोही मौजा चक 6 आरपी[illegible] (44) किला न0 1 / 0. 2530 ,9 / 0.2530 ,10 / 0.2530 [illegible] 759हैक भूमि स्माल[illegible] में दिनांक 04.02.2006 को किमतन आंवट[illegible] की गई थी।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:22:02 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उक्त आवंटन आदेश की माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष पेश होने पर उभयपक्षो को सुनवाई का अवसर दिा जाकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया जिसकी पालना में न्यायालय हाजा के द्वारा उभयपक्षो का नोटिस जारी किया गया जिस पर खेताराम व उसकी वारिसान भवरीदेवी तथा धन्नाराम के देहान्त होने पर उसके वारिसान , प्रहलाद , हनुमान पि0 श्योकरण जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये तथा बजरगलाल की और से कोई भी उपस्थित नही आया पुनः बजरगलाल को रजिस्टर सम्मन से तलब किया गया किन्तु बजरगलाल या उसका कोई भी प्लीडर उपस्थित नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रस्तुत संशोधित शिर्षक के अनुसार प्रार्थीगण ने वाद भूमि कब्जा काश्त में होने का कथन किया तथा अपने कथनो के समर्थन में वाद भूमि के चिपते खेत पडोसीयो के शपथ पत्र पेश किये आवंटन नियमों में स्माल पेच के नियमों के अनुसार आवंटन की जाने वाली भूमि के चिपते पडोसीयो को ही आवंटन किये जाने का प्रावधान है प्रकरण के अवलोकन से पाया की बजरगलाल आवंटन की जाने वाली भूमि का चिपता काश्तकार नही है यह तो केवल टीसी आवंटन होने का कथन कर भूमि चाहता है टीसी पर भूमि आवंटन काफी वर्षो पूर्व की जाती थी जिसका नवीनीकरण होना आवश्यक था प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार बजरगलाल को केवल एक बार भूमि टीसी पर आंवटन की गई जिसका नवीनीकरण नही होने पर स्वतः ही निरस्त मानी जाती है ना ही बजगरलाल को बार बार तलब करने के उपरान्त बजरगलाल या उसका कोई प्लीडर उपस्थित नही आया है ना ही भूमि कभी भी बजगरलाल के कब्जा काश्त में होने का कोई तथ्य उपलब्ध है जबकि वाद भूमि प्रार्थीगण एव उसके पूर्वजों के कब्जा काश्त में होने के तथ्य पत्रावली में उपलब्ध है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण के पूर्वज खेताराम धन्नाराम , प्रहलाद , हनुमान पि0 श्योकरण को रोही मोजा चक 6 आरपीएम के प0न0 297／394 (44) किला न0 1／0.2530 ,9／0.2530 ,10／0.2530 कुल 0.759हैक भूमि स्माल पेच में आवंटन की गई थी जो उचित है क्योकि बजरगलाल के पास टीसी नवीनीकरण का साक्ष्य उपलब्ध नही है ना ही उक्त भूमि कब्जा काश्त में हाना प्रमाणित है बजरगलाल सांक्ष्यो के अभाव में टीसी से पुख्ता आवंटन करवाने का अधिकारी नही है। प्रार्थीगण के पूर्वजों को पूर्व में स्माल पेच में भूमि आवंटन की गई स्माल पेच के नियमों के अनुसार आवंटन की जाने वाली भूमि के चिपते पडोसीयो के सुना जाना है हस्तगत प्रकरण में चिपते हुए पडोसीयो को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जा चुका है जिनके द्वारा भूमि प्रार्थीगण के कब्जा में होना व स्माल पेच में आवटन की सहमति भी दी गई है

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर को रोही मोजा चक 6 आरपीएम के प0न0 297／394 (44) किला न0 1／0.2530 ,9／0.2530 ,10／0.2530 कुल 0.759हैक भूमि स्माल पेच में आवंटन की गई थी को बहाल रखा जाता है यदि प्रार्थीगण या उसके पूर्वजा के द्वारा आवंटन की गई भूमि की किमत पूर्व मे जमा नही करवाई गई तो कायम की गई किमत जमा करवाने के लिये बाध्य रहेगे यदि राशि जमा हो चुकी हो तो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे निर्णय की प्रति तहसीलदार नोहर को पालना [illegible] आवे

निर्णय आज दिनांक 30/1/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:22:02 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर